परिशिष्ट "ग्यारह" [19/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1309]

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र. 3005 / भ.अ.शा / 2024 भोपाल दिनांक 06.12.2024

प्रति,

श्री जसदीप सिंह,
प्रभात पेट्रोल पम्प, प्रभात चौराह
रायसेन रोड

विषयः– स्वीकृत भवन अनुज्ञा मानचित्र एवं भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि, आपके द्वारा स्थल पर .... निर्मित / निर्माणाधीन उक्त भवन के संबंध में इस कार्यालय द्वारा भवन अनुज्ञा एवं भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेजो का परीक्षण किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से स्वीकृत भवन अनुज्ञा मानचित्र एवं भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेजं इस कार्यालय को उपलब्ध करावे अन्यथा म0प्र0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

उपयंत्री
भवन अनुज्ञा शाखा
नगर पालिक निगम,भोपाल

10/12/2024

Sub Engineer
Urban Administration & Development
M.P. Bhopal

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

परिशिष्ट 'ब'

और जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें कि ऐसा अपराध ऐसे उल्लंघन के लिये प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात चालू रहे, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (१) के खण्ड (क) और (ख) में वर्णित किसी बाधा या अतिक्रमण को ऐसी सूचना जैसी कि विहित की जाए, देने के पश्चात् हटवा सकेगा।

(४) आयुक्त द्वारा उपधारा (३) के अधीन हटवाई गई किसी भी वस्तु का व्ययन, जब तक ऐसी वस्तुओं का स्वामी उसको वापस लेने के लिये प्रस्तुत नहीं होता और आयुक्त को ऐसी वस्तुओं के हटाए जाने तथा भण्डारण संबंधी प्रभारों का भुगतान नहीं कर देता है, आयुक्त द्वारा लोक नीलामी द्वारा या ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जैसा कि आयुक्त उचित समझे, किया जाएगा।

(५) कोई पुलिस अधिकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त लिखित में की गई रिपोर्ट के सिवाय इस धारा के अधीन अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा।]

[१][३२२-क. अभिलेख का संधारण तथा अतिक्रमण की रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना— (१) वार्ड समिति का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी या सेवक जिसको निगम की खुली भूमि या सार्वजनिक स्थानों के अभिलेख संधारण करने के कर्तव्य समनुदेशित किए गए हैं, किसी भी अधिक्रमण के घटित होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उत्तरदायी होंगे।

(२) आयुक्त, उपधारा (१) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर यथासंभव शीघ्र ऐसे अधिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करेगा।

(३) यदि कोई भारसाधक अधिकारी या सेवक जो अधिक्रमण पर नजर रखने के लिये उत्तरदायी है, अधिक्रमण के घटित होने की तारीख से एक माह के भीतर आयुक्त को सूचित करने में चूक (असफल) करता है, तो ऐसे अधिकारी या सेवक को अपने कर्तव्यों की अवहेलना का दोषी समझा जाएगा और ऐसे अधिकारी या सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(४) आयुक्त, निगम की खुली भूमि या सार्वजनिक स्थानों पर अधिक्रमण की जगहों के बारे में की गई या उनके संबंध में की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई तथा उपधारा (३) के अधीन परिकल्पित ऐसे कर्त्तव्यों की अवहेलना के दोषी पाए गए अधिकारियों और सेवकों के नाम के बारे में जानकारी प्रत्येक माह मेयर-इन-काउंसिल को देगा।]

३२३. अनुज्ञा के बिना सड़कों का न खोला जाना या न तोड़ा जाना और भवन बनाने की सामग्री का एकत्रित न किया जाना— (१) ऐसे मामलों में के अतिरिक्त, जिन्हें शासन सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस धारा के प्रभाव से मुक्त कर दे, कोई भी व्यक्ति आयुक्त की अनुज्ञा के बिना तथा भाड़े के भुगतान को सम्मिलित करते हुए, ऐसे निर्बन्धनों तथा प्रतिबन्धों के अनुसार जैसे कि या तो सामान्यत: प्रत्येक विशेष प्रकरण में आयुक्त आरोपित करे—

(अ) भूमि या खरंजे को, या किसी दीवाल, घेरे, स्तंभ, जंजीर या अन्य सामग्री या वस्तु को जो किसी सड़क का भाग हो या किसी खुले स्थल को, जो निगम में वेष्ठित हो न तो खोलेगा, न तोड़ेगा, न स्थानच्युत करेगा, न ऊंचा उठायेगा और न उसमें कोई परिवर्तन करेगा या उसे क्षति पहुंचायेगा; या

(आ) किसी सड़क में या किसी खुले स्थान में जो किसी निगम में वेष्ठित हो भवन बनाने की सामग्री को एकत्रित नहीं करेगा; या

१. म.प्र. अधिनियम क्र. २९ सन् २००३ द्वारा प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक २५-८-२००३ में प्रकाशित।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट -'ब'

३१९. किसी व्यक्ति की धारा ४३४ के अधीन दोष-सिद्धि पर आयुक्त द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया— जब कोई व्यक्ति धारा ४३४ के अधीन सिद्ध दोष ठहराया जाय तो आयुक्त—

(अ) सूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऊपर निकलती हुई रचना, अतिक्रमण या बाधा को हटाने के लिये और जहां आवश्यक हो, सड़क जल-निकास या नाली को पुनः उस स्थिति में कराने के लिये, जिसमें वह अतिक्रमण से पूर्व थी, आदेश दे सकेगा; और

(आ) यदि सूचना-पत्र में नियत किये गये समय के भीतर आदेश का पालन न किया जावे तो आदेशित कार्य को ऐसे व्यक्ति के व्यय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करा सकेगा तथा आदेशित कार्य का व्यय ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के बारहवें अध्याय के अधीन कर के अवशेष के रूप में वसूल कर सकेगा।

३२०. सड़कों के संबंध में नगरपालिक प्राधिकारियों की शक्तियों पर प्रतिबन्ध— (१) शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना जो अपनी स्वीकृति या तो व्यापकतः या विशेष प्रकरणों में दे सकेगा, निगम या आयुक्त शासन में वेष्टित किसी सड़क के संबंध में कोई कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगा, जिसका करना निगम या आयुक्त की अनुज्ञा के बिना इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन दण्डनीय है।

(२) निगम या आयुक्त यदि शासन द्वारा इस प्रकार आदेशित किया जाये, तो ऐसी सड़कों के संबंध में निगम या आयुक्त को, जैसी भी कि दशा हो, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त की गई समस्त या किन्हीं भी शक्तियों को प्रयोग में लायेगा।

३२१. शासन की या निगम में वेष्टित भूमि में भवनों की नींव के आधार से स्वत्व का स्थापित न होना— किसी भूमि के संबंध में, जो शासन या निगम की हो या उसमें वेष्टित हो केवल इस कारण से कि कोई भवन, दीवार या अन्य रचना की नींव का आधार ऐसी भूमि के धरातल के नीचे प्रलम्बित हो या है, कोई स्वत्व प्राप्त हुआ नहीं समझा जायेगा।

सड़कों में बाधा

[1][३२२. सड़कों में बाधा का प्रतिषेध— (१) कोई भी व्यक्ति, इस निमित्त प्रदान की गई आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना तथा ऐसी शर्तों के अनुसरण में के सिवाय जिसके अंतर्गत भाड़े या शुल्क के भुगतान भी हैं, जैसी कि वह इस निमित्त या तो सामान्यतः या विशेषतः अधिरोपित करे,—

(क) कोई दीवार, बाड़, रेलिंग, खम्भा, सीढ़ी, बूथ या अन्य संरचना को चाहे वह स्थिर या चलायमान हो या चाहे वह स्थायी या अस्थायी प्रकृति की हो या कोई फिक्सचर किसी सड़क में या उस पर इस प्रकार परिनिर्मित या स्थापित नहीं करेगा जिससे कि उसमें बाधा निर्मित होती हो या उस पर अतिक्रमण होता हो या उसके ऊपर प्रक्षेपक के रूप में आगे निकले भाग को या ऐसी सड़क, जलसरणी, नाला, कुएँ या तालाब के किसी भाग पर दखल डालता हो;

(ख) किसी सड़क पर, या सड़क या सार्वजनिक स्थान में की किसी खुली जलसरणी, नाली या कुंए पर कोई स्टाल, कुर्सी, बेंच, संदूक, नसैनी, गांठ या अन्य वस्तुएँ चाहे वह कुछ भी हों, एकत्रित करके नहीं रखेगा, जिससे उस पर कोई बाधा या अतिक्रमण निर्मित होता हो।

(२) जो कोई उपधारा (१) के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से तथा ऐसे

१. म.प्र. अधिनियम क्र. १६ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक ३० मई, १९९४ में प्रकाशित।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग